

266

II/लि०/सिंगरौली/ 2018/0329

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर (म०प्र०) इच्छरविपठ



शिवशंकर पिता केमला यादव उम्र ..... वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम  
मिसिरगवां तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)

RS-30/-

अधिकांश महोदय द्वारा  
प्राप्त होनी द्वारा पेशा  
10-01-2018

.....आवेदक

बनाम

रामचन्द्र पिता जगन्नाथ यादव उम्र ..... वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम  
मिसिरगवां तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश  
न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय  
तहसील चितरंगी के राजस्व प्रकरण  
क्रमांक 76/अ-19/1999-2000 में  
पारित आदेश दिनांक 30/07/2000  
संबन्धित आदेश दिनांक 14/11/11  
पुनरीक्षण/निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य निम्नांकित है :-



1. यह कि ग्राम मिसिरगवां तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली स्थित पुराना आराजी खसरा क्रमांक 407/1 का नया बन्दोबस्ती खसरा क्रमांक 1142 रकवा 0.66 हे०, 1143 रकवा 1.00 हे० किता 2 योग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / भू-रा0 / 2018 / 0329

जिला-सिंगरौली

शिवशंकर यादव / रामचन्द्र यादव

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 76/अ-19/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2000 संलग्न आदेश दिनांक 14.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>शिवशंकर 23/1/19</p>